103/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.11.20	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना को वादग्रस्त आराजी ग्राम ढेंढवा के खसरा नं. 765 रकबा 0.65 के संबंध में उभयपक्ष के मध्य एक अन्य प्रकरण संख्या 100/18 उनवान नवीन/लक्ष्मण द्वारा न्यायालय में विचाराधीन है जिसका निर्णय का प्रभाव। अनुतोष चाहा गया है प्रस्तुत प्रकरण में वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहता है वाद संख्या 100/18 में निर्णय पारित कर प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार वादग्रस्त आराजी पर घोषित किया जा चुका है अतः वादी व प्रतिवादी उक्त आराजी पर सहखातेदार होने के कारण इस वाद के वादी का प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है प्रकरण में उल्लेखित तथ्यों का विस्तृत विवेचन प्र.स. 100/18 बउनवान नवीन बनाम लक्ष्मण में किया गया है। अतः प्रकरण को खारिज किया जाता है। ~~प्र.सं. 100/18~~ पत्रावली बाद तकमील जुमला हो कर नकल कैफियत हो व दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.11.06 15:56:31 IST
Reason: SelfAttested